

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशना र्थ)
 भारत सरकार
 वित्त मंत्रालय
 (राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 40/2020-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि... (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तु, जो कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के उस उप शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, की एक वित्तीय वर्ष में कुल आयात की उतनी मात्रा को जितनी की नीचे कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है (एतश्मिन पश्चात जिसे "टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) मात्रा" से संदर्भित किया गया है), जब इनका आयात भारत में हुआ हो, उतने सीमा शुल्क से जो कि उक्त प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उस पर लगाया जाता हो और उक्त सारणी के कॉलम (5) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से परिगणित राशि से अधिक हो (एतश्मिन पश्चात जिसे इन-कोटा टैरिफ रेट से संदर्भित किया गया है), से छूट देती है, बशर्ते कि इस अधिसूचना के अनुबंध में विनिर्दिष्ट कोई शर्त, जिसकी शर्त संख्या उक्त सारणी के कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, पूरी होती हो, यथा :-

सारणी

क्र.सं.	उप शीर्षक टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	टैरिफ रेट कोटा मात्रा	इन-कोटा टैरिफ रेट	शर्त संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	0701	आलू	10,00,000 मीट्रिक टन	10%	1

अनुबंध

शर्त संख्या	शर्त
1.	(क) हैंड बुक ऑफ प्रोसिजर, 2015-20 में यथा विनिर्दिष्ट संगत प्रक्रिया के अनुसार आयातकर्ता को विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा टैरिफ रेट कोटा आबंटित किया गया हो । (ख) उक्त टैरिफ रेट कोटा प्राधिकार पत्र में आयातकर्ता का नाम और पता, आईसी कोड, सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या, लागू होने वाले उक्त शीर्षक या टैरिफ मद, मात्रा और प्रमाण पत्र की वैधता अवधि उल्लिखित हो । (ग) टीआरक्यू प्राधिकार पत्र को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा इलैक्ट्रॉनिक तरीके से जारी किया जाएगा और इसे आईसीईएस सिस्टम से भेजा जाएगा । (घ) उक्त टीआरक्यू के एवज में किए जाने वाले आयात की तभी अनुमति होगी जब आईसीईएस सिस्टम में इलैक्ट्रॉनिक रूप से डेबिटिंग हो गई हो ।

बशर्ते कि इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात 31 जनवरी, 2021 के पश्चात उक्त सारणी के क्रम संख्या 1 के समक्ष विनिर्दिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी ।

फाइल संख्या 354/105/2014- टीआरयू)

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार